आकाशवाणी श्री विजयपुरम

दिनांक : 19.05.2026 समय : 1905

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे।
- प्रधान आयकर आयुक्त की अध्यक्षता में प्रारम्भ 2026 कार्यक्रम में नए आयकर अधिनियम के प्रमुख बदलावों पर प्रकाश डाला गया।
- प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रातरापुर परियोजना में निर्माण गुणवत्ता पर सांसद ने उठाए सवाल।
- अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पुलिस महानिदेशक के सम्मान में पुलिस लाइन परेड ग्राउन्ड में बिदाई समारोह आयोजित किया गया।

<><><><><><><>

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली की राजधानी रोम पहुंचेगे। यह श्री मोदी की पांच देशों की यात्रा का अंतिम चरण है। श्री मोदी का दो दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मज़बूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। इस यात्रा से भारत–इटली रणनीतिक संबंधो को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार निवेश और औद्योगिक साझेदारों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनो देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। भारतीय प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री के इटली आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।

<><><><><><><>

पोर्ट ब्लेयर स्थित आपदा भवन के सम्मेलन कक्ष में आज नए आयकर अधिनियम–2025 तथा नए आयकर नियम–2026 पर आधारित जन–जागरूकता कार्यक्रम "प्रारंभ 2026" का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रधान आयकर आयुक्त–1, कोलकाता के पोर्ट ब्लेयर स्थित कार्यालय द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान आयकर आयुक्त मनीष कनौजिया, आई आर एस ने की। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हितधारकों ने भाग लिया। अपने उद्घाटन संबोधन में श्री कनौजिया ने नए आयकर अधिनियम–2025 की प्रमुख विशेषताओं तथा आयकर अधिनियम–1961 की तुलना में इसमें किए गए

महत्वपूर्ण बदलावों की जानकारी दी। इसके बाद श्री विजयपुरम के संयुक्त आयकर आयुक्त अर्नब सरकार ने पावर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से नए कानून में किए गए प्रमुख परिवर्तनों की विस्तार से जानकारी दी। प्रधान आयकर आयुक्त ने कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों से संवाद भी किया और उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। कार्यक्रम का समापन आयकर अधिकारी, टीडीएस, पोर्ट ब्लेयर श्री तपस गांगुली द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

<><><><><><><>

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं परीक्षा के परिणामों के पुनर्मूल्यांकन एवं अंकों के सत्यापन से संबंधित सूचना जारी की है। विद्यार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट सी बी एस ई आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया दो चरणों में की जाएगी। प्रथम चरण में विद्यार्थी संबंधित विषय की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। द्वितीय चरण में विद्यार्थी अंकों के सत्यापन, पुनर्मूल्यांकन अथवा दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थी अधिक जानकारी के लिए संबंधित वेबसाइट पर विज़िट कर सकते है।

<><><><><><><>

दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम द्वारा कल शाम साढ़े पाँच बजे से लाइव फोन–इन कार्यक्रम पेट टॉक – बियोन्ड दि बॉन्ड का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम का विषय "भारतीय श्वानों का दत्तक ग्रहण एवं नैतिक पालतू प्रजनन" रहेगा। कार्यक्रम में पशु चिकित्सा अनुभाग रंगाचांग की वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. सिवा रानी स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित रहेंगी। कार्यक्रम के दौरान दर्शक इन फोन नम्बरों 24–56–62 तथा 24–47–45 पर कॉल कर सकते हैं।

<><><><><><><>

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रातरापुर स्थित आवास परियोजना में कथित अनियमितताओं, विलम्ब, निम्नस्तरीय निर्माण तथा लाभार्थियों के साथ हो रहे उत्पीड़न के मामले को लेकर सांसद बिष्णु पद रे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप एवं उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इस पत्र की प्रति उन्होंने गृह मंत्री, आवास एवं शहरी विकास मंत्री, उपराज्यपाल तथा मुख्य सचिव सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को भी प्रेषित की है।

सांसद ने कहा कि इस परियोजना में 213 आवास इकाइयां ब्लॉक A, B एवं C में शामिल हैं, जिनमें ब्लॉक A और B का लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण है, जबकि ब्लॉक C में केवल लगभग 20

प्रतिशत प्रगति हुई है। तीन मई को बिना मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली, जलापूर्ति, जल निकासी, स्वच्छता, आंतरिक सड़क एवं स्ट्रीट लाइट के अधूरे घरों को सौंपने का प्रयास किया गया, जिसे लाभार्थियों के विरोध के कारण रोका गया। सांसद ने चार मई को स्थल का निरीक्षण कर पाया कि निर्माण में कई कमियां हैं। लाभार्थियों ने यह भी बताया कि मकान अधूरे होने के बावजूद अप्रैल 2026 से ई एम आई की वसूली शुरू हो चुकी है।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के पुलिस महानिदेशक हरगोबिन्दर सिंह धालीवाल के सम्मान में आज पुलिस लाइंस परेड ग्राउंड में पूर्ण औपचारिक सम्मान के साथ विदाई परेड का आयोजन किया गया। यह आयोजन उनके स्थानांतरण के उपरांत दिल्ली वापसी के अवसर पर किया गया। श्री धालीवाल ने द्वीप समूह में इक्कीस महीने तक अपनी सेवा प्रदान की। इस अवसर पर श्री धालीवाल ने पुलिस बल के सभी कर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए अपने कार्यकाल को स्मरणीय बताया और पुलिस बल के सभी कर्मियों की सराहना की।

<><><><><><><>

दक्षिण अंडमान स्थित डी एफ ओ कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में पॉश अधिनियम पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सहायक वन संरक्षक शरथ के स्वागत संबोधन से हुई। इस प्रशिक्षण सत्र का संचालन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रमाणित पॉश प्रशिक्षक स्मृति लक्ष्मी विवेक द्वारा किया गया। उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न से संबंधित मामलों में पॉश अधिनियम के महत्व, उसके नियमों एवं प्रक्रियाओं पर विस्तार से जानकारी दी। सत्र के दौरान प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों एवं शंकाओं का समाधान भी किया गया। इस अवसर पर वन विभाग के कर्मचारी, अधिकारी एवं स्टाफ ने कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में डी एफ ओ, विम्बर्लीगंज अश्विन जे. परिहार ने निजी संस्था का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में संस्था की अध्यक्ष वी.के. मरियम बीबी ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।

<><><><><><><>

समेकित क्षेत्रीय केंद्र, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा संचालित पुनर्वास एवं संबद्ध व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जारी सूचना के अनुसार द्वीपसमूह को प्रवेश परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र के रूप में नामित किया गया है। अभ्यर्थी नियमित

रूप से सी आर सी अंडमान निकोबार द्वीपसमूह तथा एन आई ई पी एम डी की आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

<><><><><><><>

सेल्युलर जेल में आयोजित होने वाला ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम तकनीकी कारणों से स्थगित कर दिया गया है। यह कार्यक्रम अगली सूचना तक निलंबित रहेगा।

<><><><><><><>

श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद द्वारा गर्ल्स स्कूल पार्किंग परिसर में मोबाइल फूड वैन/ट्रक संचालन जैसे स्थानों के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन ई ओ आई आमंत्रित किए गए हैं। ई ओ आई से संबंधित नियम एवं शर्तों वाले दस्तावेज ई–निविदा से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ई ओ आई जमा करने की अंतिम तिथि पच्चीस मई है। यह सूचना राजस्व अधिकारी, श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद द्वारा जारी की गई है।

<><><><><><><>